न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 98/2021

प्रार्थी :–

1. नाथुखां पुत्र मिसरूखां कौम तेली मुसलमान, उम्र 57 वर्ष, आधार कार्ड नं. 9032, 9849, 9589, निवासी राजपुरा थोब, तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सफी खां पुत्र कादर खां
2. हासमखां पुत्र कादर खां
3. वलीखां पुत्र हाजीखां
4. सदीक खां पुत्र हाजीखां
5. अदरीम खां पुत्र हाजी खां
6 अली खां पुत्र हाजी खां
7 सकूर खां पुत्र हाजीखां
8. अदरीमखां पुत्र बचु खां
9. हबीब खां पुत्र बचुखां
10. आरब खां पुत्र बबुखां
11. समे खां पुत्र बचु खां
12. आकूखां पुत्र जामीन खां
13. मूसे खां पुत्र जामीन खां
14. हनीफ खां पुत्र जामीन खां
15. आसीन खां पुत्र जामीन खां
16. आमदखां पुत्र जामीन खां
17. अलाबक्स पुत्र जामीन खां
18. शेर खां पुत्र जामीन खां सभी जातियान मुसलमान निवासी सातुणी चारणान तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर।
19. सुखकंवर पत्नी शंकरसिंह
20. सुमेरसिंह पुत्र शंकरसिंह
21. पुखराजसिंह पुत्र शंकरसिंह
22. जेठाराम पुत्र काशीराम
23. नारायणराम पुत्र काशीराम सभी जातियान पुरोहित साकिन राजपुरा थोब
24. महावीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह कौम राजपूत साकिन थोब तहसील कल्याणपुर
25. चेनाराम पुत्र नेनाराम कौम चौधरी साकिन राजपुरा थोब
26. रतनेखां पुत्र हकीमखां
27. राजूखां पुत्र कालूखां
28. अजीम खां पुत्र कालूखां
29. सदीखां पुत्र कालूखां
30. सुभान खां पुत्र सुमारखां
31. तालबखां पुत्र उस्मान खां, कौम तेली मुसलमान साकिन थोब
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर,जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार ....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री देवीसिंह महेचा, प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 31 एक पक्षीय

'आदेश दिनांक :– 13.1.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा राजपुरा पटवार क्षेत्र थोब भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब खसरा संख्या 420/305 रकबा 28–19 बीघा किस्म बा.अ में अवस्थित है।

जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम मौजा राजपुरा पटवार क्षेत्र थोब भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर के खसरा संख्या 420/305 रकबा 28–19 बीघा किस्म बा.अ. की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 31 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 31 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम मौजा राजपुरा पटवार क्षेत्र थोब भू.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 420/305 रकबा 28–19 बीघा किस्म बा.अ. भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 31 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 31 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा राजपुरा पटवार क्षेत्र थोब भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 420/305 रकबा 28–19 बीघा किस्म बा.अ. भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा राजपुरा पटवार क्षेत्र थोब भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 420/305 रकबा 28–19 बीघा किस्म बा.अ. भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2070–2023 व नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 420/305 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 31 को बावजूद रजिस्ट्री [illegible] तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थी [illegible] प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राजपुरा प[illegible] क्षेत्र थोब भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर के खसरा संख्या 420/305 रकबा 28–19 बीघा किस्म बा.अ. भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 31 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है, पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आज दिनांक 13.01. 2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:50 IST
Reason: SelfAttested